राजस्थान–सरकार
वित्त (नियम) विभाग

क्रमांक एफ.12 (2) वित्त/नियम/2012 जयपुर दिनांक 29.07.2016

: : **परिपत्र** : :

विषयः– सेवानिवृति परिलाभों के विलम्ब से भुगतान करने पर विलम्बित अवधि पर देय ब्याज के भुगतान बाबत ।

सेवानिवृति परिलाभो के भुगतान में विलम्ब पर विलम्ब अवधि के लिये ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1996 के नियम–89 में आवश्यक प्रावधान किये गये है। यदि सेवानिवृति परिलाभो का भुगतान उस तारीख से जिसको इसका भुगतान देय हो 60 दिन के पश्चात् प्राधिकृत किया गया है, और यह सिद्ध हो जाता है कि भुगतान में विलम्ब सरकारी कर्मचारी की और से इन नियमो में अन्यत्र अधिकृत प्रक्रिया का पालन करने में असफल रहने के कारण नहीं हुआ था, तो सेवानिवृति परिलाभो के देय होने की तारीख से उस माह, जिसमें सेवानिवृति परिलाभ प्राधिकृत किये गये है, के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक 09 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा ।

नियमानुसार सेवानिवृति परिलाभो का विलम्ब से भुगतान करने के प्रत्येक प्रकरण का कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वतः परीक्षण किया जायेगा और उसे विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को अग्रेषित किया जायेगा तथा जहां प्रशासनिक विभाग को यह समाधान हो जाये कि सेवानिवृति परिलाभो के भुगतान में विलम्ब प्रशासनिक कमियों या निष्क्रियता के कारण हुआ है तो सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग ब्याज के भुगतान के लिये निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग को स्वीकृति जारी करेगा ।

ऐसे सभी प्रकरणो में जिनमें ब्याज का भुगतान प्रशासनिक कमियो या निष्क्रियता के कारण प्रावधित हुआ है, सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा और उस सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध जो सेवानिवृति परिलाभो के भुगतान में विलम्ब के लिये उत्तरदायी है/उत्तरदायी पाये गये है, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करेगा और पेंशनर के ब्याज का भुगतान करने के कारण सरकार को हुई हानि की वसूली उत्तरदायी ठहराये गये सरकारी अधिकारी/कर्मचारी से करेगा ।

ब्याज के भुगतान के आदेश में, प्रशासनिक विभाग **विलम्ब के लिये उत्तरदायी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के नाम और उनसे वसूलनीय ब्याज की रकम का भी उल्लेख करेगा** । यदि विलम्ब पेंशन विभाग के स्तर पर किया जाता है तो ऐसे विलम्ब के लिये पेंशन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा और पेंशनर को भुगतान किये गये ब्याज की वसूली करने हेतु दोषी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध उपर्युक्त कार्यवाही की जायेगी ।

यह भी ध्यान में आया है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति परिलाभो के विलम्ब से भुगतान पर देय ब्याज के भुगतान की **स्वीकृति हेतु प्रकरण अनावश्यक रूप से वित्त विभाग को भिजवाये जा रहे है** । इसी के साथ प्रशासनिक विभाग स्तर पर ऐसे प्रकरणो में सरकारी अधिकारियो/कर्मचारियो के उत्तरदायित्व निर्धारण में विलम्ब होने पर ब्याज के भुगतान में अधिक विलम्ब होने की स्थिति में पेंशनर माननीय न्यायालय में याचिका दायर करता है । जिसके कारण अनावश्यक न्यायिक वाद उत्पन्न होते है ।

उपरोक्त स्थिति के मद्धेनजर सभी प्रशासनिक विभागो से यह अपेक्षा है कि विलम्ब से प्रदाय किये गये पेंशनरी परिलाभो पर देय ब्याज हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1996 के नियम–89 के प्रावधानानुसार कार्यवाही सम्पादित कर अविलम्ब ब्याज के भुगतान की स्वीकृति जारी करे। इस कार्यवाही के लिये वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं है । नियम–89 के प्रावधानानुसार सरकारी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारण करे तथा जारी किये जाने वाले स्वीकृति आदेश में दोषी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के नाम एवं उनसे वसूलनीय ब्याज की राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख आवश्यक रूप से करावे ताकि ऐसे प्रकरणो में अनावश्यक विलम्ब नहीं हो, पेंशनर को सेवानिवृति परिलाभो का विलम्ब से भुगतान होने पर नियमानुसार देय ब्याज का समय पर भुगतान हो एवं अनावश्यक न्यायिक वादो से बचा जा सके ।

जिन प्रकरणो में सेवानिवृति परिलाभो का विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज का भुगतान किया जाना निश्चित हो गया है, ऐसे सभी प्रकरणो में प्रशासनिक विभाग द्वारा सरकारी अधिकारी/कर्मचारियो के उत्तरदायित्व निर्धारण में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है, तो इस विलम्ब अवधि के लिये भी ब्याज

.....2.....

की स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात् दोषी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विलम्ब अवधि के ब्याज की वसूली के कार्यवाही के साथ उत्तरदायी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे ।

प्रशासनिक बिभाग के स्तर पर पेंशनरी परिलाभो के विलम्ब से हुए भुगतान के परिणामस्वरूप किये जाने वाले ब्याज के भुगतान बाबत एक रजिस्टर संधारित करते हुए सभी स्वीकृतियों का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे तथा प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव स्तर पर आयोजित विभागीय बैठको एवं ऑडिट समिति की बैठको में इन प्रकरणो की समीक्षा की जावे । विभागाध्यक्ष स्तर पर भी इन प्रकरणो का संधारण किया जावे तथा महालेखाकार की लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग के अंकेक्षण के समय भी इन प्रकरणो की जांच की जावे व वसूली योग्य राशि का प्रकरणवार उल्लेख सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदनो में किया जावे ।

ह0
(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/माध्य/पेंशन–अ//34928/09 दिनांकः 16.08.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित कर लेख है कि राज्य सरकार के वित्त विभाग के उक्त परिपत्र क्रमांक एफ.12 (2) वित्त/नियम/2012 जयपुर दिनांक 29.07.2016 में दिये गये निर्देशो की कठोरता से पालना से सुनिश्चित करे । उक्त आदेशो की पालना में किसी प्रकार के विलम्ब व लापरवाही के लिये आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें :–

1– समस्त उप निदेशक
2– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
3– सामान्य प्रशासन अनुभाग/विधि अनुभाग/कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी
4– संस्थापन ए–बी अनुभाग
5– संस्थापन "सी" अनुभाग
6–संस्थापन "एफ" अनुभाग
7– प्राचार्य, टी0 टी0 कॉलेज, बीकानेर/अजमेर
8– प्राचार्य, सार्दूल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर ।
9– सम्पादक, शिविरा पत्रिका, कार्यालय हाजा ।
10– अनुभागाधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा

लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर